



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54505

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 719/2026

कुलदीप

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक के अधिवक्ता: अविनाश पाण्डेय

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश पाण्डेय, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री जी.पी. सिंह को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
- इस न्यायालय ने दिनांक 28.01.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था: -
"1. श्री अविनाश पाण्डेय, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री मनोज गौतम, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 396/2025, धारा 317(2), 318(2), 319(2), 3(5) बी.एन.एस., थाना बेहट, जनपद सहारनपुर में इस प्रार्थना के साथ अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और उसका नाम सह-अभियुक्त लंकेश के इकबालिया बयान में सामने आया है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक द्वारा सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर प्रथम सूचनाकर्ता से एक अचल संपत्ति का विक्रय विलेख (सेल डीड) उसके पक्ष में निष्पादित करने के झूठे वादे पर 50,00,000/- रुपये प्राप्त करने की बात कही गई है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि उन्हें अभी तक मामले में निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और मामले के गुणों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदक- कुलदीप की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय के संतोष के अधीन प्रस्तुत करने पर 24.02.2026 तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के साथ होगी: -

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

6. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।
7. इस मामले को दिनांक 24.02.2026 को फ्रेश के रूप में प्रस्तुत करें।
8. इस बीच, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को अगली नियत तिथि तक मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है।”

3. आज जब मामला पुकारा गया, तो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

4. मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.01.2026 को दिए गए तर्कों को दोहराया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का लेन-देन से कोई सरोकार नहीं है और उसने नकद या अन्य किसी रूप में कोई पैसा प्राप्त नहीं किया है। उन्होंने आगे बताया कि किसी भी संपत्ति के संबंध में विक्रय का कोई लिखित अनुबंध (एग्रीमेंट टू सेल) नहीं है और बिना किसी विक्रय अनुबंध के, 50 लाख रुपये की इतनी बड़ी राशि का नकद भुगतान करना स्वयं में संदिग्ध प्रतीत होता है। आवेदक का पंजाब का एक मात्र मामले का आपराधिक इतिहास है जिसमें वह जमानत पर है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि हालांकि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, फिर भी उसने घटना में भाग लिया है। उसने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर विक्रय विलेख निष्पादित करने के झूठे वादे पर सूचनाकर्ता से 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण पर विवाद नहीं किया है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों को सुना है। आवेदक को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2026 को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। उसके द्वारा उसे दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत के दुरुपयोग की कोई रिपोर्ट नहीं है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और उसका नाम सह-अभियुक्त लंकेश के इकबालिया बयान में सामने आया है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को विधिवत स्पष्ट किया गया है। संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक द्वारा दिनांक 28.01.2026 को उसे प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत के दुरुपयोग की कोई बात नहीं कही गई है, मैं आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।

8. उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक- कुलदीप को उन्हीं नियमों और शर्तों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा जैसा कि दिनांक 28.01.2026 के आदेश में उल्लेखित है।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

17 मार्च, 2026

कीर्ति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"